प्रथम / द्वितीय प्रति

निविदा फार्म क्रमांक . . . . . .

अहस्तांतरणीय

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

रायपुर,दुर्ग एवं बस्तर संभाग हेतु ई–निविदा दस्तावेज

आयोडीनयुक्त नमक (ISI स्टेण्डर्ड)

क्रय हेतु निविदा

वर्ष 2014–2015 एवं 2015–16

(जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक)

निविदा दिनांक 03–12–2014

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

//रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग हेतु आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16//

छत्तीसगढ़ राज्य के **रायपुर एवं बस्तर संभाग में स्थित निगम** के गोदामों में आयोडीनयुक्त नमक ISI **स्टेंडर्ड लगभग 84000 मे0टन** प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यम तथा प्रतिष्ठित निर्माताओं, जिनका नमक आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जीवित पंजीयन हो, इच्छुक नमक निर्माताओं से निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु दस्तावेज।

Key-Dates

Seq. No.	NAN	Bidder	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender	-	03.11.14	17.00	05.11.14	17.00	
2		Bid Download	05.11.14	17.01	03.12.14	16.00	
3		Submit Bid Hash on line Payment of bid submission fee	05.11.14	17.01	03.12.14	16.00	Envelope A and Envelope C
4	Close For Bidding (Super Hash)	-	03.12.14	16.01	03.12.14	17.00	Envelope A and Envelope C
5		Submit Bids on line (only with encryption by department pub. Key.)	03.12.14	17.01	04.12.14	14.00	Envelope A and Envelope C
6	Open Envelope A	-	04.12.14	14.01	05.12.14	16.00	Envelope A
7	Evaluation of Envelope A	-	04.12.14	14.01	05.12.14	16.00	
8	Open Price/financial bid Envelope C	-	05.12.14	16.01	05.12.14	17.00	Envelop 'C'
9	Evaluation of price Envelope C (and information to successful bidders in negotiation)	-	05.12.14	16.01	05.12.14	17.00	
10		Fill Negotiate Rates (if required)	--	--	--	--	
11	View Item rate Form	-	05.12.14	17.01	06.12.14	17.00	
12	Tender Award	-	--	--	--	--	

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है ।
3. निविदा दिनांक **03.12.2014** को दोपहर 4.00 बजे तक ऑनलाईन से जमा किया जाना है। निविदा जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर लें एवं अंतिम समय का इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई न हो। अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा जमा नहीं होने पर समयावृद्धि करने हेतु कोई दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा दस्तावेज की प्रति Online में ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://nan.chips.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा फार्म के लिए राशि रू. 5000 (पांच हजार) प्रोसेसिंग फीस एवं रू. 4000 (चार हजार) बीड सबमिशन फीस कुल राशि रू. 9000 (नौ हजार) वेबसाईट https://nan.chips.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
6. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ 01 से 30 तक समाहित है। उपरोक्त समस्त निर्देश भी निविदा का भाग होगा।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

//उद्‌बोधन//

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के **रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग में स्थित गोदामों में** नमक प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यमों एवं प्रतिष्ठित नमक निर्माताओं से नमक क्रय (एफ.ओ.आर.) वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (अर्थात 1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक) के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. उल्लेखनीय है कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्यान्न/शक्कर/नमक/दलहन/बारदाना आदि की खरीदी/वितरण/विक्रय सम्मिलित है।

3. इस निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, तथा छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, जहां नमक का भंडारण किया जाना है, का विवरण दिया गया है। निविदाकार से अनुरोध है, कि कृपया इन दस्तावेजों को भली–भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें भरें। निविदा फार्म में निर्धारित **परिशिष्ट–6** में साफ–साफ शब्दों व अंकों में अंकित करें।

4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए **टेक्नीकल फार्म ऑनलाईन के माध्यम से प्रकाशित स्थान** में दर्शाई गई तारीख तक निर्धारित समय तक स्वीकार किए जायेंगे।

5. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस आयोडीनयुक्त नमक क्रय संविदा के अभिन्न अंग हैं और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग हेतु आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा के निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं–

(अ) निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम निविदाकार से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा।

(ब) निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज यथा अमानत राशि, नमक आयुक्त द्वारा जारी फर्म का पंजीयन, नमक आयुक्त द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, **सिक्यूरिटी राशि हेतु बैंक सहमति पत्र,** इन्कम टैक्स रिटर्न एवं पेन (PAN), वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 का आडिटेड बैलेंस सीट, (यदि निविदाकार आई.एस.आई. मार्का नमक उत्पादक है तो आई.एस.आई. प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा) उक्त वांछित दस्तावेज नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी ।

(स) निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ठ एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज
कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

// निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण //

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जावेंगे।

परिशिष्ट – एक	इस परिशिष्ट पर आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा संबंधी प्रक्रिया एवं निविदा हेतु परिभाषाएं दर्शित है।
परिशिष्ट – दो	इस परिशिष्ट पर प्रदाय किये जाने वाले आयोडीनयुक्त नमक से संबधित निविदा के नियम एवं शर्तें उल्लेखित है।
परिशिष्ट – तीन	इस परिशिष्ट पर आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता एवं देयक भुगतान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
परिशिष्ट – चार	इस परिशिष्ट पर छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां आयोडीनयुक्त नमक की पूर्ति किया जाना है, की जानकारी दी गई है।
परिशिष्ट – पांच	इस परिशिष्ट पर निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण चाहा गया है।
परिशिष्ट – छः	इस परिशिष्ट पर छत्तीसगढ़ स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों पर आयोडीनयुक्त नमक की प्रदाय दर प्रति क्विंटल की दर से (एफ.ओ.आर.) चाही गई है।
परिशिष्ट – सात	इस परिशिष्ट पर आयोडीनयुक्त नमक क्रय संबंधी अनुबंध पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकारों द्वारा रूपये 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
परिशिष्ट– आठ	इस परिशिष्ट में आयोडीनयुक्त नमक क्रय के पालीपैक एवं एच डी ई पी बैग का प्रारूप दिये गये है ।
परिशिष्ट– नौ	इस परिशिष्ट में आयोडीनयुक्त नमक क्रय संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि लागू करने संबंधी घोषणा पत्र दिये गये हैं ।
परिशिष्ट– दस	इस परिशिष्ट में आयोडीनयुक्त नमक क्रय ई–निविदा संबंधी जानकारी दिये गये हैं।
परिशिष्ट– ग्यारह	इस परिशिष्ट में टेक्नीकल बिड के दस्तावेजों की सूची की जानकारी दिये गये है।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

परिशिष्ट – एक

//निविदा दस्तावेज//
(रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग)
// आयोडीनयुक्त नमक ISI स्टेंडर्ड क्रय की निविदा संबंधी प्रक्रिया//

01. निविदा :–

निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज यथा अमानत राशि हेतु RTGS की रसीद, नमक आयुक्त द्वारा जारी फर्म का पंजीयन, नमक आयुक्त द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, **सिक्यूरिटी राशि हेतु बैंक सहमति पत्र,** इन्कम टैक्स रिटर्न एवं पेन (PAN), वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 का आडिटेड बैलेंस सीट, (यदि निविदाकार आई.एस.आई. मार्का नमक उत्पादक है तो आई.एस.आई. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) **टेक्नीकल बीड** (TECHNICAL BID) **परिशिष्ट–11 के अनुसार केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही** प्रस्तुत किया जाना होगा ।

निविदाकारों जिनके द्वारा **टेक्नीकल बीड** में क्वालिफाई नहीं किया गया है उनकी **प्राइज बीड** नहीं खोली जावेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

02. अर्नेस्ट मनी एवं सुरक्षा निधि (EMD/SECURITY):–

निविदाकार को अमानत राशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पच्चास लाख मात्र) को निविदा के दस्तावेज में की–डेट्स के अनुसार छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि. रायपुर के खाता क्रमांक 32169202827, IFSC CODE- SBIN 0007237, न्यूशांतिनगर, स्टेट बैंक आफ इंडिया में RTGS के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

निविदाकार को निविदा के साथ टेक्नीकल बिड में किसी राष्ट्रीयकृत/सेड्यूल बैक द्वारा जमानत राशि रू **1.70 करोड़** के लिए बैंक गारंटी हेतु सहमति पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

03. निविदा में हस्ताक्षर :–

निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी/समिति, द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी किया जाता है, तो पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज मूल प्रति में ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

04. निविदा दर प्रस्तुत करने के संबंध में :–

निविदाकार निर्धारित निविदा दस्तावेज में संलग्न **परिशिष्ट–04,** जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर संभाग में स्थित विभिन्न जिलों के गोदामों रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगॉव, कवर्धा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाडा, सुकमा, बीजापुर स्थित स्थानीय गोदामों की जानकारी दी गई है। उक्त स्थानों के लिए ओयाडीनयुक्त नमक प्रदाय हेतु प्रति क्विंटल दर अंकों एवं शब्दों में लिखकर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा दर प्रस्तुत करने के पूर्व छत्तीसगढ़ के रेल/सड़क मार्गों को देखते हुए दरें प्रस्तुत करें जो बाद में परिवर्तनीय नहीं होगा।

निविदाएँ केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगी। फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से अथवा खुले (बिना सीलबंद लिफाफा) में प्राप्त निविदाएं विचार योग्य नहीं होगी।

निविदा साफ एवं स्पष्ट रूप से भरी जावे। निविदा दस्तावेज प्रपत्र में किसी तरह की ओव्हर राईटिंग मान्य नहीं किया जावेगा। कांट–छाट होने की स्थिति में उस पर निविदाकार का पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। निविदाकार को आयोडीनयुक्त नमक छत्तीसगढ़ में प्रेषण के दौरान आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इसमें विभाग/संस्था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त वांछित दस्तावेज को निविदाकार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने उपरांत नोटरी से सत्यापन कराना अनिवार्य है।

05. जमानत राशि जमा करने के संबंध में :–

निविदा स्वीकृत होने की दशा में 7 दिवस के भीतर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/सेड्यूल बैक से राशि ₹ **1.70 करोड़** की जमानत राशि बैंक गारन्टी के रूप में 15 माह की अवधि के लिये कार्पोरेशन के पक्ष में जमा कर अनुबंध निष्पादन करना होगा। दतोपरांत ई0एम0डी0राशि वापसी की जावेगी । आवश्यकता अनुसार बैंक गारंटी की अवधि बढ़ायी जा सकती है जो निविदाकार के लिये बंधनकारी होगा ।

06. आयोडीनयुक्त नमक क्रय की मात्रा :–

नमक की प्रतिमाह **लगभग 7000 मे0टन** की आवश्यकता होगी तथा नमक प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रति माह आवश्यकतानुसार 7000 मे.टन से 14000 मे.टन नमक प्रदाय के आदेश दिये जा सकते हैं जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित नमक निर्माता की रहेगी। इस प्रकार 01 वर्ष में अनुमानित मात्रा 84000 **मे.टन** की पूर्ति करना होगा जो **आबंटन अनुसार** कम या अधिक हो सकती है। आवश्यकतानुसार प्रदाय मात्रा में कमी या अधिक की जा सकती है ।

संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय आदेश देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। निगम मुख्यालय से लगभग अनुमानित साप्ताहिक/पाक्षिक प्रदाय मात्रा की जानकारी यदि निर्माता चाहे तो प्राप्त कर सकता है किंतु वास्तविक मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जब–जब आयोडीनयुक्त नमक की आवश्यकता होगी वह यथा संभव प्रदाय हेतु आदेश निर्माता को सौंपा जायेगा। यदि कभी कोई आयोडीनयुक्त नमक क्रय आदेश अथवा नमक क्रय की मात्रा कम या अधिक रही, तो इसके लिए निर्माता कार्पोरशन को या उसके विरूद्व कोई दावा नहीं कर सकेगा एवं कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संविदा के पक्षकार नमक निर्माता एवं प्रबंधक (नमक), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड हैं।

07. निविदा स्वीकार करने संबंधी :–

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय निविदा हेतु किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के मान्य/अमान्य/पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मान्य करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्ण सुरक्षित है।

––0––

रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग

// आयोडीनयुक्त नमक ISI स्टेंडर्ड निविदा हेतु परिभाषाएं //

1. आयोडीनयुक्त नमक से तात्पर्य प्रदाय किया जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर का तथा पैकिंग के समय आयोडीन की मात्रा 30 पी.पी.एम. गुणवत्ता का होना चाहिए एवं 06 माह की अवधि तक 15 पी.पी.एम. होना अनिवार्य है। प्रदाय किया जाने वाला नमक ISI **स्टेंडर्ड** होना आवश्यक है।

2. निविदा दस्तावेज से तात्पर्य आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदाकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया दस्तावेज।

3. संविदा से तात्पर्य है कि निविदा बुलाना, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेडयूल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्तें सम्मिलित है।

4. निगम शब्द का तात्पर्य होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर है।

5. प्रबंध संचालक का तात्पर्य यह होगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जैसा यथास्थिति हो, जिसके प्रशासकीय नियंत्रण में क्रमशः छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कर्पोरेशन लिमिटेड के व्यवसायिक निविदा संबंधी कार्य सम्पादित होना है।

6. निविदाकर्ता शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे निर्माता जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है।

7. प्रदायकर्ता शब्द से तात्पर्य ऐसे आयोडीनयुक्त नमक निर्माता कंपनी जो नमक आयुक्त, भारत सरकार से पंजीकृत हो। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।

8. दर शब्द से तात्पर्य यह होगा कि दर जो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जो जिसे निगम द्वारा अंतरिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया है।

9. अनुबंध शब्द का अर्थ यह होगा कि आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निगम एवं नमक निर्माता के बीच संविदा करार।

——0——

परिशिष्ट – दो

//निविदा की नियम एवं शर्तें//

1. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनांक से 90 दिवस तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा।

2. प्रदायकर्ता नमक का निर्माता ही हो ट्रेडर्स नहीं ।

3. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, सड़क/रेल मार्ग का भली–भांति अवलोकन/परीक्षण करें। दरें भरने से पूर्व सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि कर लेवें। निविदा भरने या खुलने उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।

4. आयोडीनयुक्त नमक का क्रय शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इससे अगर नमक निर्माता को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी निगम की नहीं होगी।

5. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार/नमक निर्माता की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरों में नमक प्रेषण करने हेतु समस्त प्रचलित लायसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें निगम द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी नमक निर्माता की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी नमक निर्माता की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म की जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी।

6. निविदाकार को अमानत राशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पच्चास लाख मात्र) को निविदा के दस्तावेज में की–डेट्स के अनुसार छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि. रायपुर के खाता क्रमांक 32169202827, IFSC CODE- SBIN 0007237, न्यूशांतिनगर, स्टेट बैंक आफ इंडिया में RTGS के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

   निविदाकार को निविदा के साथ टेक्नीकल बिड में किसी राष्ट्रीयकृत/सेड्यूल बैक द्वारा जमानत राशि रू **1.70 करोड़** के लिए बैंक गारंटी हेतु सहमति पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। दतोपरांत ई0एम0डी0राशि वापसी की जावेगी ।

7. निर्धारित अवधि में करार निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फार्म के साथ जमा बयाने की राशि (अर्नेष्ट मनी) यथास्थिति अनुसार कार्पोरेशन के हित में जप्त कर ली जावेगी। इसके लिए आवश्यक नहीं होगा कि कार्पोरेशन संबंधित को अलग से सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

8. आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निविदा रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के जिलों के बेसडिपो/गोदामों (परिशिष्ठ 04 अनुसार) के स्थानीय गोदामों पर (एफ.ओ.आर.) पहुंचाकर स्टेकिंग करने तक की दर चाही गई है। नमक की बोरियों में हुक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

9. जमा सिक्यूरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

10. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तें/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित कर दी जायेगी।

11. वितरण आदेश (Delivery Schedule) साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक रेल या रोड परिवहन से करने हेतु दिया जावेगा। आदेशित मात्रा अनुसार निर्धारित समय में नमक उपलब्ध कराने हेतु प्रदायकर्ता फर्म की बाध्यता रहेगी।

12. यदि अनुबंधित नमक निर्माता निगम द्वारा दिये गये नमक प्रदाय आदेश के अनुसार नमक प्रदाय नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रद्द किए स्वतंत्र रूप से निविदा में भाग लिये न्यूनता के क्रम में नमक निर्माता/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी उद्यम/संस्था से इस संविदा के अधीन अनुबंधित नमक निर्माता की जोखिम एवं खर्चों पर नमक प्रदाय आदेश देने के सात दिवस के बाद से आनुपातिक तौर पर नमक की पूर्ति करा लें। इस स्थिति में

कार्पोरेशन को हुई क्षति/हानि एवं खर्चों की स्वीकृत दर का 25% या वास्तविक जो अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित नमक निर्माता का होगा।

13. प्रदाय ओदश के तहत निर्धारित मात्रा एंव निर्धारित अवधि तक प्रदाय नहीं करने पर प्रदायकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन के पश्चात 15 दिवस तक प्रदाय अवधि बढाई जा सकती है इस अवधि में कोई पेनाल्टी नहीं काटी जायेगी। निगम प्रबंधन चाहे तो 15 दिवस के अतिरिक्त और 15 दिवस वृद्धि कर सकता है। 30 दिवस से अधिक विलंब होने पर 0.5% राशि की कटौत्री की जावेगी। इससे अधिक विलम्ब होने पर अनुपातिक रूप से विलम्ब की राशि कटौत्री की जोवगी। 03 माह के विलम्ब अवधि अथवा 3% अधिक पेनाल्टी की स्थिति में निविदा निरस्त किया जाकर निविदाकार की अमानत/जमानत राशि समायोजित कर उनका नाम काली सूची में दर्ज किया जवेगा। विलम्ब शुल्क की वसूली का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

14. क्रय की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार है।

15. नमक निर्माता का कार्यस्थल नमक आयुक्त से स्वीकृत/अनुमोदित तथा निर्धारित होना चाहिए । साल्ट कमिश्नर से स्वीकृत/निर्धारित कार्य स्थल के अलावा निर्माता को अन्य स्थान पर नमक तैयार करने की अनुमति नहीं रहेगी ।

16. **रैक प्राप्त होने के पश्चात स्थानीय स्तर पर रैक पाइंट/गोदाम पर निगम द्वारा गुणवत्ता की जॉच समय–समय पर की जायेगी ।** इसमें निविदादाता/नमक निर्माता की आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

17. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे स्वीकृत दर पर वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए अनुबंध करना होगा। निविदा 1 जनवरी 2015 से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी । निगम चाहे तो आगामी 03 माह के लिये अनुबंध बढ़ाई जा सकती है जो प्रदायकर्ता फर्म को बंधनकारी होगा ।

18. निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी।

19. कार्पोरेशन का यह प्रदाय आदेश अहस्तांतरणीय है, जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। सब कांट्रेक्ट के लिए अधिकार नहीं रहेगा। निविदाकार यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित नहीं कर सकेगा। यदि अन्य व्यक्ति को निविदा (Contract) सौंपा जाता है तो संबंधित फर्म का निविदा निरस्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा निविदा निरस्त कर, जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।

20. इस निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

21. निविदाकार को वित्तीय वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 का साक्ष्य स्वरूप फर्म/कम्पनी की AUDITED बेलेंस सीट, लाभ–हानि खाता संलग्न करें (UNAUDITED मान्य नहीं होगी) ।

22. नमक प्रदायकर्ता को साल्ट कमिशनर, भारत सरकार द्वारा वर्ष भर के लिए आयोडिन नमक उत्पादन हेतु लगभग 84000 मे.टन क्षमता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

23. नमक प्रदायकर्ता को प्रत्येक माहवार नमक पैकिंग में बैच कोड एवं पैकिंग दिनांक का उल्लेख करना अनिवार्य है । नमक आयुक्त भारत सरकार द्वारा दी गई गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट में बैच कोड का उल्लेख कराया जाना अनिवार्य है ।

24 निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने की दशा में अनुबंध के पूर्व 15 नमक (पेटजार–250 ग्राम) की सेम्पल प्रदाय किया जाना अनिवार्य है ।

24. सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना अनिवार्य होगा ।

परिशिष्ट–तीन

(रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग)

नमक की गुणवत्ता एवं देयक भुगतान की प्रक्रिया

1. प्रदाय किया जाने वाला **नमक–साफ, सफेद**, निर्धारित गुणवत्ता का होना चाहिए।
2. नमक के पैकिंग के समय आयोडीन 30 पी.पी.एम. सांद्रता का होना चाहिए व 06 माह की समयावधि समाप्ति पर आयोडीन मात्रा 15 पी.पी.एम. से कम नहीं होना चाहिए।
3. प्रदाय किये जाने वाला नमक पी.एफ.ए.एक्ट 1954 के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर, आई.एस.आई स्टेण्डर्ड एवं निम्नलिखित स्पेशिफिकेशन का होना चाहिए जिसके लिए नमक प्रदाय के दौरान नमक आयुक्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Salt Specification

IODISED SALT means a crystalline salt white colour, 2 free from contamination and other extraneous adulterants and impurities. It shall conform to the following standards, namely:-

Moisture	Not more than 6.0% by weight of the untried sample.
Sodium Chloride (NaCl)	Not less than 96% by weight on dry basis.
Matter insolubale in water	Not more than 1% by weight on dry basis.
Matter soluble in water other than Sodium Chloride	Not more than 3% by weight on dry basis.
Iodine Content at -	
(a) Manufacturers level	Not less than 30 parts per million on dry weight basis.
(b) Distribution channel	Not less than 15 parts per million on dry weight basis. including retail level

4. नमक 01 किलोग्राम नेट वजन, 50 माईक्रॉन के पॉलीपैक में प्रदाय किया जावेगा। एक किलोग्राम के पॉलीपैक पर ब्रांडिंग का प्रारूप निगम द्वारा दिया जावेगा, जिसकी प्रिंटिंग नमक विक्रेता करायेगा। अमृत नमक के ब्रांडिंग के प्रारूप की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न है, जिसे तीन रंगों में छपवाया जाना है पॉली फिल्म साफ, एक समान टेक्सचर की, ट्रांसपिरेंट, मजबूत, बिना किसी प्रकार के छेद की, न्यूनतम 50 माईक्रॉन स्तर की होगी। नमक की पैकिंग से संबंधित नमूना निगम द्वारा दी गई डिजाईन में प्रिंट कराकर, पैकिंग के पूर्व अनुमोदित कराना होगा व तत्पश्चात ही निगम से सहमति मिलने पर वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही इसकी छपाई अच्छी किस्म की स्याही से प्रदायकर्ता के द्वारा कराई जावेगी। घटिया किस्म की स्याही का प्रयोग न किया जावे । घटिया किस्म की स्याही प्रयोग करने पर नमक के मूल्य का 2% राशि का कटौत्रा किया जावेगा ।

   रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के जिलों में नमक की आपूर्ति **"अमृत नमक"** के नाम से आवश्यकतानुसार पॉलीपैक पर निर्धारित प्रारूप पर ब्रांडिंग कर की जावेगी। अमृत नमक का पॉलिपैक ट्रांसपेरेंट (TRANSPARENT) रहेगा।

5. निविदा में आयोडीनयुक्त नमक की दर (एफ.ओ.आर) छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के जिलों में स्थित गोदामों पर रेल/सड़क माध्यम से परिवहन कर लैडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित चाही गई है। दरें समस्त करों सहित होंगी।

5. (अ) भारत सरकार द्वारा रेल भाड़े एवं अन्य करों में अचानक अप्रत्याशित कमी/वृद्वि की जाती है तो दोनों पक्षों को सहमति से आवश्यक निर्णय लेने की वाध्यता रहेगी ।

6. 01 किलोग्राम वजन के पॉलीपैक 50–50 किलो की संख्या में नये एच.डी.पी.ई बैग्स में पैक कर प्रदाय किये जायेगा जिसमें हुक न लगे एवं हुक को सख्ती से बंद करावें। आयोडीनयुक्त नमक परिवहन के साथ खाली पॉलीपैक भी रखी जावेगी, जो कटी– फटी थैलियों के स्थान पर काम आ सके तथा पाली

पैक में पेकिंग इस प्रकार हो कि पैकेट का मुंह न खुले व नमक की क्षति न हो। नमक पाली पैक का अनुमानित वजन लगभग 3 से 3.50 ग्राम प्रति पाली बैग एवं 50 किग्रा भरती वाले एचडीपीई बैग का वजन 50 से 55 ग्राम होना चाहिए ।

7. निगम को विक्रेता के कारखाने/गोदामों आदि स्थानों पर नमक की पिसाई, पैकिंग, किस्म, मात्रा आदि का निरीक्षण का अधिकार होगा एवं रैक पाइंट पर भी निरीक्षण का अधिकार निगम के पास रहेगा। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आदेश निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।

8. निविदादाता/नमक निर्माता द्वारा आयोडीनयुक्त नमक के प्रदाय संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर निगम द्वारा अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा जमानत राशि अपने पक्ष में राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. यदि प्रदाय किया गया नमक एवं पैकिंग तथा पैकिंग मटेरियल पर छपाई की स्याही उपयुक्त, गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाया जाता है तो निगम भुगतान अस्वीकृत करने के साथ–साथ अनुबंध एक पक्षीय रूप से समाप्त करते हुए जमानत राशि राजसात कर सकेगा।

10. अनुबंधित विक्रेता द्वारा नमक प्रदाय के साथ गुणवत्ता का प्रमाणीकरण साल्ट कमिश्नर/या उनके अधिकृत सर्वेयर की रिपोर्ट तथा प्रदाय किया गया नमक आई.एस.आई. स्टैण्डर्ड एवं पी.एफ.ए. एक्ट द्वारा निर्धारित मानक स्तर का होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस हेतु समय–समय पर निगम से किसी अधिकारी/कर्मचारी को निर्माता के फैक्ट्री में सेम्पल जांच कराने हेतु भेजा जा सकेगा।

11. **रैक प्राप्त होने के पश्चात स्थानीय स्तर पर रैक पाइंट/गोदाम पर निगम द्वारा गुणवत्ता की जॉच समय–समय पर की जायेगी ।** इसमें निविदादाता/नमक निर्माता की आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

12. **गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात** प्राप्तकर्ता जिलों से नमक प्राप्ति की ऑनलाईन पावती, तौल पत्रक सहित निगम के रायपुर स्थित मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा। निगम को प्राप्त आयोडीनयुक्त नमक से संबंधित 90% भुगतान, उक्त दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने पर जांचोपरांत एवं सहीं पाये जाने पर भुगतान किया जायेगा और शेष 10% का भुगतान जिला प्रबंधक से नमक प्राप्ति की मात्रा व गुणवत्ता आदि की पुष्टि प्राप्त होने के बाद एवं अपने स्त्रोतों से संतुष्ट होने के पश्चात किया जावेगा।

12. रेक से नमक परिवहन की दशा में आर.आर. क्रमांक, दिनांक तथा स्थान सहित नमक प्रेषित जिले का नाम, प्रदाय केन्द्र का नाम, भेजी गई मात्रा, ऑनलाईन ट्रक चालान क्रमांक, दिनांक व ट्रक क्रमांक सहित विवरण देना होगा।

13. भुगतान वास्तविक रूप से प्रदाय किये गये नेट नमक का भुगतान होगा। यह प्राप्ति स्थल पर शत–प्रतिशत तौलकर जमा कराया जायेगा।

14. कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत अनुबंधित नमक निर्माता के साथ अनुबंध के रहते हुए भी अनुबंधित नमक प्रदाय हेतु ऐसे अन्य उपाय/व्यवस्था को नियुक्त कर सकता है जो नमक प्रदाय आदेश को निर्बाद्ध और गति पूर्ण से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, इस मामले में प्रबंधन को पूरे अधिकार होंगे कि वह नियुक्त अनुबंधित नमक निर्माता के साथ–साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसी समानांतर व्यवस्था से नमक की पूर्ति करावे। इसके अलावा भी प्रबंधन को सर्वाधिकार होंगे, तथा अनुबंधित नमक निर्माता की आपत्ति व्यवस्था के लिए मान्य नहीं होगी। यदि कार्पोरेशन चाहे तो किसी भी अनुबंधित नमक प्रदायकर्ता को स्वीकृत पूर्ण अथवा आंशिक नमक प्रदाय के आदेश निविदा में भाग लिये नमक निर्माता से कर सकता है। इसमें नियुक्त नमक निर्माता की कोई आपत्ति/क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा।

16. यह कि निवदादाता/नमक निर्माता द्वारा प्रदाय किया जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत मानक स्तर का तथा आयोडीन मात्रा 30 PPM का होगा अनिवार्य है ।

(अ) पी.एफ.ए. एक्ट के अन्तर्गत नमक की गुणवत्ता निर्धारित मानक स्तर से कम मानक स्तर का पाया जाता है एवं आयोडीन 30 PPM से कम पाया जाता है तो ऐसे स्टाक को अस्वीकृत कर राजसात

किया जायेगा तथा इसका भुगतान नहीं किया जावेगा । प्रदाकर्ता फर्म को इसके स्थान पर निर्धारित गुणतवत्ता का नमक प्रदाय करना होगा । इसमें निविदादाता/नमक निर्माता की आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

(ब) यदि एक किलोग्राम पॉलीपैक जिसमें नमक प्रदाय किया जाता है, इसका माइक्रान 50 से कम पाया जाता है तो प्रदायकर्ता के बिल से नमक के मूल्य का 4% तक का कटौत्रा किया जावेगा।

(स) निगम को देय बकाया राशि की वसूली छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता के नियमों एवं प्रावधानों के तहत् भू–राजस्व बकाया की भांति की जावेगी।

17 नमक प्रदायकर्ता द्वारा जिला स्तर पर डिलवरी दी जावेगी । निविदा में प्रस्तावित 17 (सत्रह) केन्द्र के अतिरिक्त अन्य प्रदाय केन्द्रों पर जिला प्रबंधक द्वारा प्रदायकर्ता से ही नमक परिवहन कराए जाने की दशा में निगम द्वारा जिले के संबंधित बेसडिपो की स्वीकृत एल.आर.टी. परिवहन दर पर एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन के आधार पर अनुबंधित प्रदायकर्ता फर्म को नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। एल.आर.टी. देयकों से शासन द्वारा लागू कर वसूली योग्य होगी तथा शासन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। निविदाकार को ही एल.आर.टी. परिवहन का भुगतान किया जाएगा अन्य व्यक्ति अथवा अन्य परिवहनकर्ता को नहीं।

18. रेक प्वाइंट से नमक की डिलेव्हरी लेकर निगम द्वारा स्वयं अथवा अपने नियुक्त परिवहनकर्ता से परिवहन कराए जाने की दशा में स्थानीय परिवहन, अनलोडिंग हम्माली एवं स्टेकिंग की राशि प्रति **क्विंटल 70.00 रूपये कटौत्रा** कर प्रदायकर्ता को नमक का भुगतान किया जाएगा।

19. नमक प्रदायकर्ता द्वारा रैक आने पर पूर्व में दिये गये परिवहन आदेश अनुसार यदि निर्धारित गोदामों में भंडारण क्षमता रिक्त नहीं रहती है, ऐसी स्थिति में नमक प्रदायकर्ता समीप के अन्य गोदामों में भंडारण कर सकता है। ऐसी स्थिति में जिला प्रबंधक से तत्काल अनुमति लेने होवें ।

20. विवादों का निपटारा न होने की स्थिति में अंतिम निर्णय आर्बिट्रेटर द्वारा लिया जायेगा । आर्बिट्रेटर प्रमुख सचिव, खाद्य होगें ।

21. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन विवाद होने की दशा में न्यायालय का क्षेत्राधिकार रायपुर (छत्तीसगढ़) स्थित न्यायालय रहेगा।

––0––

परिशिष्ट – चार

// रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां आयोडीनयुक्त नमक की पूर्ति किया जाना है //

क्र.	जिला/बेस डिपो का नाम	जिले में नमक की प्रतिमाह अनुमानित आवश्यकता (मात्रा में. टन में)	जिले में स्थित बेसडिपो/प्रदाय केन्द्र/गोदाम जहां पर आयोडीनयुक्त नमक रेल/सड़क परिवहन से पूर्ति किया जाना है। (केन्द्रीय/राज्य भण्डार गृह निगम)
01	रायपुर	765.00	रायपुर
02	बलौदा बाजार	700.00	बलौदाबाजार
03	गरियाबंद	349.00	गरियाबंद
04	धमतरी	378.00	धमतरी
05	महासमुंद	600.00	महासमुंद
06	दुर्ग	690.00	दुर्ग
07	बालोद	360.00	बालोद
08	बेमेतरा	455.00	बेमेतरा
09	राजनांदगांव	730.00	राजनांदगांव
10	कवर्धा	450.00	कवर्धा
11	बस्तर	448.00	बस्तर
12	कोंडागांव	260.00	कोंडागांव
13	नारायणपुर	60.00	नारायणपुर
14	कांकेर	340.00	कांकेर
15	दंतेवाड़ा	145.00	दंतेवाड़ा
16	सुकमा	140.00	सुकमा
17	बीजापुर	130.00	बीजापुर
	योग :–	**7000.00**	

नोट : 1– निर्धारित नमक की बेस डिपो में ही स्कंध की डिलीवरी ली जाएगी।

2– उपरोक्त दर्शित मात्रा में परिवर्तन हो सकता है ।

--0--

परिशिष्ट – पांच

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

प्रेषक,

..... (नमक निर्माता का नाम)
..... (एवं पूर्ण पता)
.....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों / गोदामों में आयोडीनयुक्त नमक (आई.एस.आई. स्टेण्डर्ड) क्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने / मैंने निगम के मुख्यालय में ..... रसीद नम्बर ..... दिनांक ..... को रूपये .... जमाकर यह निविदा फार्म क्रय किया है। हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझा लिया तथा हम/ मैंने उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।

2. हम/मैंने आयोडीनयुक्त नमक छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों में एफ.ओ.आर. (लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित) (दरें समस्त करों सहित) पहुंचाकर देने संबंधी प्रकाशित निविदा के तारतम्य में यह निविदा भर रहे हैं। हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है –

(01) निविदाकार का नाम पता .....
.....

(02) दूरभाष क्रमांक कार्यालय .....
इण्डस्ट्रीज .....

(03) निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/ कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार) .....

(04) मुखिया (कर्ता) का नाम व पता .....

(05) यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारी के नाम/पते (भागीदारी विलेय की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) .....
.....

(06) फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें) .....
.....

(07) साल्ट कमिश्नर द्वारा पंजीकृत पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें) .....
.....

(08) आयकर रिटर्न तथा पेन की सत्यप्रलि संलग्न करें। .....
.....

(09) बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्र. लिखें) .....

(10) नमक उत्पादन क्षमता के प्रमाण–पत्र (नमक आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी सर्टिफिकेट) .....

(11) बैंक द्वारा दी गई सहमति पत्र .....

(12) वर्तमान में किस शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में नमक प्रदाय कार्य कर रहे हैं, विवरण दें .....

(13) निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण. .....

(14) इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

3. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से नब्बे दिन तक नया परिशिष्ट दो के अनुसार वैध रहेंगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूंगा/रहूंगी।
4. यदि नियम द्वारा हमें/मुझे आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ।
5. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं / करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियॉ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

फर्म का पूरा नाम .....

पोस्टल पता .....

.....

.....

पिन कोड़ नंबर .....

हैसियत .....

मोबाईल नंबर– .....

दूरभाष नंबर .....

ई–मेल पता .....

मुहर

नोट : इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालम में प्रविष्ट अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

निविदाकार के हस्ताक्षर .....

निविदाकार का नाम .....

--0--

परिशिष्ट – 6

रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग

//आयोडीनयुक्त नमक–साफ, सफेद, निर्धारित गुणवत्ता अनुसार (आई.एस.आई. स्टैण्डर्ड) प्रदाय की दर//

आयोडीनयुक्त नमक–साफ, सफेद, निर्धारित गुणवत्ता अनुसार (आई.एस.आई. स्टैण्डर्ड)
एफ.ओ.आर. वर्ष **2014–15 एवं 2015–16**
(1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक) में प्रदाय की दर :–

क्र.	विवरण	दर रूपये प्रति क्विंटल	
		अंकों में	शब्दों में
01	आयोडीनयुक्त नमक की प्रदाय दर (एफ.ओ.आर.) **रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगॉव, कवर्धा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाडा, सुकमा, बीजापुर** स्थित स्थानीय गोदामों में स्टेकिंग करने तक की दर (दरें समस्त करों सहित होंगी)		

उपरोक्तानुसार दरें (एफ.ओ.आर. एवं समस्त करों सहित) मेरे / हमारे द्वारा भरी गई हैं।

नोट :– दरें केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही भरा जाना होगा ।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

.....

हैसियत .....

मुहर

––0––

परिशिष्ट – सात

करार
नमूना प्रति
(सौ रूपये मूल्य का मुद्रांक पत्र)

चूंकि छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मेरे / हमारे द्वारा दिनांक ..... को प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को प्रस्तुत मुहरबंद निविदा के प्रत्युत्तर में कार्पोरेशन के सभी 17 जिले में स्थित स्थानीय गोदामों में आयरन एवं आयोडीनयुक्त नमक स्टेकिंग करने तथा समस्त करों सहित तक की दरें हेतु संविदा स्वीकृत करने के लिए सहमत है। अतः मैं / हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स ..... जो कि एक पंजीयत निर्माता/भागीदारी फर्म / स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप फर्म/कंपनी है और जिसके भागीदार / स्वामी) श्री .....
पुत्र श्री ..... निवासी ..... एवं फर्म का पंजीकृत पता .....
जिसे इसमें इसको आगे निविदाकार/नमक निर्माता कहा गया है एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर (जिसे इसमें इसको आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक ..... को यह करार निष्पादित करता हूँ / करते हैं और इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने / हमने छत्तीसगढ़ स्थिति विभिन्न निर्धारित प्रदाय केन्द्रों / गोदामों में आयरन एवं आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय करने हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक ..... दिनांक ..... तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया गया है और उन्हें समझ लिया है, और उनसे आबद्ध रहने का करार करता हूँ/करते हैं। मैं/हम, मेरे/हमारे द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... में जो इस करार का एक भाग है, मैं/हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे । तथा निविदा दस्तावेज के सभी परिशिष्ट में उल्लेखित समस्त बिन्दु मान्य होंगे करूंगा/करेंगे।

यह करार दिनांक ..... से ..... तक के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए, लागू रहेगा।

(संविदाकार)
वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है

साक्षी :–

(1) .....
.....
.....

(2) .....
.....

कार्पोरेशन की ओर से
अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :–

(1) .....
.....
.....

(2) .....
.....

परिशिष्ट–आठ



BEST BEFORE 12 MONTHS FROM THE DATE OF PACKING

पॉलिथिन ग्रेड – 50 माइक्रॉन
निर्माता :

Packed Date :
Batch No. :

NET 50 KG

छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि.

''हितवाद परिसर'' अवंति विहार, तेलीबांधा रायपुर

बैग साईज 30 X 24

बैग का वजन– 50 ग्राम से 55 ग्राम

पीडीएस में वितरण हेतु

आयोडीनयुक्त ''अमृत नमक

परिशिष्ट–नौ

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on .....day of the month.....20....., between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri.....(Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (here in after called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s.....represented by Shri .....Chief Executive Officer(hereinafter called the "BIDDER/Seller." which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

2.1 Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

2.2 Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following :-

3.1 The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the

bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3 All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official (s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following :-

4.1 The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour of disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER, further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5 The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9 The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could Justify BIDDER,s exclusion from the tender process.

5.2 If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1 Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of .....

(ii) A confirmed guarantee by an India Nationalised/Scheduled Bank, promising payment of the guaranteed sum to the .....(BUYER)..... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3 In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4 No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required :-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue. .....

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with Interest there on at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(xi) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender, Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITERS

9.1 The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentially.

9.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designed by the BUYER.

9.6 The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information to the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTION

This actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire afte4r six months from the date of the signing of the contract.

13.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on .....

BUYER	**BIDDER**
Name of the Officer	**CHIEF EXECUTTIVE OFFICER**
Designation	
Department/PSU	
Witness	**Witness**
1.....	**1.....**
.....	**.....**
2.....	**2.....**
.....	**.....**

परिशिष्ट–दस

INFORMATION & INSTRUCTIONS TO THE BIDDERS OF CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
FOR e-PROCUREMENT SYSTEM (*https://cgeprocurement.gov.in*) Through Sub Portal (*https://nan.cgeprocurement.gov.in*) of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.

Special conditions and Instructions for e-Procurement System as given in the subsequent pages will over-rule the conditions stated in the Tender document wherever relevant and applicable.

1. **Enrollment/Registration & Empanelment of the Contractors/Bidders on Government of Chhattisgarh's e-Procurement Portal.**

   In order to participate in the tenders floated using the e-Procurement System, all contractors/bidders are required to get enrolled on the e-Procurement portal (*http:cgeprocurement.gov.in*) and the get empanelled (if required by the Department) on the sub-portal of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited, Chhattisgarh at *http://nan.cgeprocurement.gov.in.*

   Only after concerned officer approves the empanelment of the contractor/bidder online, the contractor/bidder shall be allowed to participate in the tenders floated by the Department using the e-Procurement System.

2. **Set-up of Machine:**

   In order to operate on the e-Procurement System, setting of User's Machine is required. For which the User has to install some utilities in his machine as per the instructions in Help Manual for Machine Setup (Available for download on the e-Procurement Portal). The copy of the same may be obtained From Service Provider of the e-Procurement system: ***"Wipro Limited in consortium with the M/s NexTenders (India) Pvt. Ltd."***

3. **Obtaining a Digital Certificate:**

   The bids submitted online should be signed electronically with a Digital Certificate to establish the identity of the bidder bidding online. These Digital Certificates are issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities, Government of India.

   A Digital Certificate is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a digital certificate can be issued.

   The registered contractors may obtain information required to issuance of a class II Digital Signature Certificate from the Controller of Certifying Authorities *(www.cga.gov.in)* or the Service Provider of e-Procurement system of Government of Chhattisgarh:

   Wipro Limited in Consortium with NexTenders (India) Pvt. Ltd.

   B-31 "saket"

   Opp Gulab Industries,

   Shailendra Nagar,

   Raipur.

   Tel. No. 0771 - 40 79 400, 42 21 020, Fax No.0771 4221023

   E-mail: raipur@nextenders.com

   Important Note: Submission of Bids for a particular tender shall be done only using the digital certificate. In case, during the process of a particular tender, the user looses his Digital

Certificate (i.e. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the bid online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

In case of online tendering, the digital certificate issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to no-objection certificate/power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the digital certificate as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to bid on behalf of the firm for the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited tenders as per *Information Technology Act 2000.* The digital signature of this authorized user will be binding on the firm, it shall be the responsibility of management/partners of the registered form to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh *'authorization certificate'* for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a Private/Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

4. **Opening of an Electronic Payment Account:**

   For submitting the bids online, the contractors/bidders are required to make online payment using the electronic payments gateway service as mentioned in the NIT.

   Arrangements have been made for Contractors/Bidders to make payments online via Credit Card/Cash Cards/Internet Banking. The different modes of electronic payments accepted on the e-Procurement System is available and can be viewed online on the e-Procurement Website (*http://cgeprocurement.gov.in*).

5. **Payments for submission of bids online:**

   The Tender Documents may be downloaded free of cost from online GOC e-Procurement Portal by eligible Contractors/Bidders. The Contractors/Bidders are required to make the payment for bid hash submission through online payment modes mentioned in *Point No.4* above. *In Online Tendering, the "Application Form" for the issue of Tender Documents shall not be required."*

   The suppliers shall submit the bids by making online payment of Bid Hash Submission fees using the service of the secure electronic payments gateway, and print out the system generated receipt of their reference which can be produced whenever required.

   The secure electronic payments gateway is an online interface between Contractors/ Bidders and Credit Card/Online payment authorization network.

   Submission of Bids, EMD and other Documents will be governed by the time schedules given under "Key Dates" on the online e-Procurement System Portal for the particular tender.

(Please refer to the Help Manual for viewing of New Tenders online on the e-Procurement Portal)

6. **Tender Download:** Eligible/Interested Bidders can download the Tender Document online.
7. **Submission of Bid Seal (Hash):** The online submission of bids will be preceded by submission of the "digitally signed bid seal (hash)" as stated in the tender time schedule (Key Dates) published in the NIT. The contractors cannot change any bid data after the generation of bid seal (Hash).

8. **Generation of Super-Hash:** After the time of submission of Bid Seal (Hash) by the Contractors/Bidders has lapsed, the bid round will be closed and a "digitally signed tender Super-Hash" which will be prepared by concerned Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited Department Official. This is equivalent to sealing the tender box.
9. **Submission of Actual Online Bids:** Suppliers have to submit and sign their encrypted bids (by their user Public-Key) online using their digital certificate after the generation of Super-Hash within the date and time as stated in the tender schedule (Key Dates). The electronic bids of only those suppliers who have submitted their bid seals (hashes) within the stipulated time, as per the tender time schedule (Key Dates), shall be accepted by the system. A supplier who does not submit his bid seal (hash) within the stipulated time shall not be allowed to submit his bid.
10. **Submission of Earnest Money Deposit:** The Suppliers will also submit their Earnest Money Deposit as usual in a sealed physical "Cover-A" (Technical Bid) and the same should reach the stipulated time to Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited office as stated in the Tender Document, by personally along with all required documents. The Supplier shall also upload scanned copy of EMD instrument along with other details during online bidding
11. **Opening of Tender Documents:** The authority receiving the tenders or his duly authorized officer shall first open the "Envelope A" (Technical Bid) of all the contractors/Bidders and check for the validity of EMD and documents submitted in the "Envelope-A", as required by Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited. In case, the requirements are incomplete, the Technical Bid of the concerned supplier received shall not be opened. The authority shall then open the bids submitted by the suppliers online through the e-Procurement website. The official shall match the hash of each bid with the hash submitted by the contractors prior to bid submission.
12. **Fill Negotiated Rates:** The Successful bidder may have to fill in Negotiated Rates if so required during this process. In case of no negotiation or no change in rates successful bidders need to complete the Fill Negotiated Rates Stage.
13. **Key Dates:** The suppliers are strictly advised to follow the tender schedule (Key Dates) for their side of tasks and responsibilities to submit their bids, as the system is time and date locked.

*****

परिशिष्ट – ग्यारह

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि.
मुख्यालय, रायपुर

विषय :– **निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज के संबंध में ।**

विषयान्तर्गत निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न है :–

क्र.	विवरण	पेज क्र.
01	निविदा दस्तावेज के समस्त पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर संलग्न किया जावे।	
02	फर्म की स्थापना, पंजीयन प्रत्रक	
03	साल्ट कमीशनर द्वारा जारी पंजीकृत पंजीयन प्रति ।	
04	साल्ट कमीशनर द्वारा फर्म का जीवित प्रमाण पत्र ।	
05	आयकर रिर्टन की प्रति एवं पैन कार्ड की प्रति ।	
06	भागीदार/कम्पनी विलेख ।	
07	हस्ताक्षरकर्त्ता के पक्ष में पावर आफ एटार्नी ।	
08	जमा की गई अमानत राशि RTGS की छायाप्रति ।	
09	बैंक द्वारा जमानत राशि हेतु सहमति पत्र ।	
10	किसी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में नमक प्रदाय कर रहें है तो विवरण प्रति।	
11	वित्तीय वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 का AUDITED बेलेंस सीट, लाभ–हानि खाता संलग्न करें (UNAUDITED मान्य नहीं होगी) ।	
12	नमक उत्पादन क्षमता के प्रमाण–पत्र (नमक आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी सर्टिफिकेट)।	

नोट :– उपरोक्त दर्शित बिन्दु क्रमांक 01 से 12 तक सीरियल के अनुसार ही दस्तावेज (नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति) निविदा के साथ संलग्न करें

निविदाकार के हस्ताक्षर सील सहित
मोबाईल नंबर.....